एस.एस. गर्ग

फा.सं. 20/16/2017-आईएफ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
25 जुलाई, 2017

सेवा में,

श्री विद्याधर पाण्डेय,
1901, गौड़ वौशिक्क ग्राम,
चतुर्थपथ जनंतय,
गाजियाबाद-201016

विषय: **श्री विद्याधर पाण्डेय का 31 मई, 2017 का आरटीआई आवेदन।**

कृपया 31 मई, 2017 के अपने आवेदन सं. बैंक/17 के आवेदन का संदर्भ लें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निश्चित सूचना मांगी गई है जो आपके आवेदन के बिन्दु 2 और 11 में प्रदान की गई सूचना के लिए 19 जुलाई, 2017 को इस विभाग के हिन्दी अनुभाग के पत्र से प्राप्त हुआ है।

2. जहां तक इस अनुभाग के आईएफ-I अनुभाग का संबंध है, इस सूचना को शून्य माना जाए। तथापि, भारत अवसंरचना वित्त निगम लि. (आईआईएफसीएल), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और आईएफसीआई लि. आईएफ-I अनुभाग के प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आते हैं इसलिए आपके आवेदन को मांगी गई सूचना यदि उपलब्ध है, तो सीधे आपको भेजने के अनुरोध के साथ आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उनको (तीनों) भेज दिया जा रहा है।

3. इस संबंध में किसी अपील का शीघ्र उत्तर अपीलीय प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:-

श्री अंशुमन शर्मा, उप सचिव (आईएफ-I)/अपीलीय प्राधिकारी, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.

भवदीय,

सौम्यजित

(सौम्यजित घोष)
अवर सचिव (आईएफ-I) एवं सीपीआईओ

प्रतिलिपि:

1. सीपीआईओ, आईआईएफसीएल, 8वां तल, एचटी हाऊस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस विभाग को सूचित करते हुए मांगी गई सूचना सीधे आवेदक को प्रदान करें। उपर्युक्त आरटीआई आवेदन की प्रति तदनुसार इसके साथ अग्रेषित की गई है।
2. सीपीआईओ, एक्जिम बैंक, सेन्टर वन बिल्डिंग, 21वां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुम्बई को इस अनुरोध के साथ कि इस विभाग को सूचित करते हुए मांगी गई सूचना सीधे आवेदक को प्रदान करें। उपर्युक्त आरटीआई आवेदन की प्रति तदनुसार इसके साथ अग्रेषित की गई है।
3. सीपीआईओ, आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस विभाग को सूचित करते हुए मांगी गई सूचना सीधे आवेदक को प्रदान करें। उपर्युक्त आरटीआई आवेदन की प्रति तदनुसार इसके साथ अग्रेषित की गई है।
4. सीपीआईओ, हिन्दी अनुभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग।

20/16/2017-IFD

फा.सं. 14011/4/2016-हिं.(आरटीआई)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2017

सेवा में,

श्री विद्याधर पाण्डेय
1901,गौर वैश्विक ग्राम,
चतुष्पथ जनर्तय, गाजियाबाद-201016

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31.05.2017 के अपने आरटीआई आवेदन सं.बैंक/17 का संदर्भ लें जो इस अनुभाग में दिनांक 13.07.2017 को प्राप्त हुई है जिसके तहत मांगी गई सूचना के संबंध में इस विभाग से संबंधित मदवार सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	मद सं.	उत्तर	संबंधित अनुभाग
1.	मद सं.-1	आपके द्वारा मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं है। मद सं.-1(क) वित्तीय सेवाएं विभाग में जांच बिंदु स्थापित है और कार्यरत है।	--
2.	मद सं.-2 एवं 11	संलग्नक देखें।	सभी अनुभाग से संबंधित है।
3.	मद सं.-3 एवं 7	संलग्नक देखें।	सामान्य अनुभाग से संबंधित है।
4.	मद सं.-4	इस विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है।	--
5.	मद सं.-5	सूचना उपलब्ध नहीं है।	--
6.	मद सं.-6	संलग्नक देखें।	स्थपना अनुभाग
7.	मद सं.-2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, एवं 16	संलग्नक देखें।	सभी बैंकों से संबंधित है।
8.	मद सं.-15	वित्तीय सेवाएं विभाग में सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराई जाती है।	--

ऐसा प्रतीत होता है कि मद सं. 2 एवं 11 वित्तीय सेवाएं विभाग के सभी अनुभागों और मद सं. 3 एवं 7 वित्तीय सेवाएं विभाग के सामान्य अनुभाग, मद सं. 6 वित्तीय सेवाएं विभाग के स्थापना अनुभाग और मद सं. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एवं 16 सभी बैंकों से संबंधित है। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्हें हस्तांतरित किया जाता है। अत: उक्त सभी से अनुरोध है कि उत्तर नियत समय-सीमा में आवेदक को भेज दें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
सीपीआईओ

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि:

1. मद सं. 2 एवं 11 के संबध में सीपीआईओ सभी अनुभाग, मद सं.3 एवं 7 के संबंध में सीपीआईओ सामान्य अनुभाग, मद सं.6 के संबंध में सीपीआईओ स्थापना अनुभाग और मद सं.-2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एवं 16 के संबंध में सीपीआईओ सभी बैंकों को संबंधित सूचना सीधे आवेदक को भेजने के अनुरोध के साथ।
2. सुश्री जैस्मिन जेम्स, सीपीआईओं एवं अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप विल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली को उनके पत्र सं. 12/1/2017 दिनांक 29.06.2017 के संबंध में सूचनार्थ।

19/7

Department of Post India

From:

Senior Postmaster,
Ghaziabad HO-201001

To,
सचिव बैंकिंग प्रभाग
वित्त मंत्रालय भारत सरकार
नई दिल्ली

No B-2/Sr PM/RTI/2014/ 305/17-18 dated 15.0?.201?

Subject: Application of Shri विद्या धर पाण्डेय dated 3.5.17 preferred under RTI Act, 2005.

The application received from Shri विद्या धर पाण्डेय dated 3.5.17 preferred under RTI Act, 2005, is forwarded attaching with this letter for necessary action at that end.

Encl: app in original

Senior Postmaster,
Ghaziabad HO-201001

वित्त मंत्रालय/Ministry of Finance
वित्तीय सेवाएं विभाग
Deptt. of Financial Services
22 JUN 2017
5012/5/17
प्रा० एवं बैंक० विभाग..........
R&I/FTS-office No..........

US (Coord.)

जन लोकपाल बिल पारित हो। जनता की भाषा का हो सम्मान भा... ... मुक्त हो।

विद्याधर पाण्डेय

बी०ए०, एल०एल०बी०, एक्यू उपाचारक, आयुर्वेद, ज्योतिष्, कर्मकाण्डविद्, मुख्य योगशिक्षक,

प्रतिवाद सलाहकार, विधि सलाहकार, श्रमिक शिक्षक

1901, गौर वैदिक ग्राम, चतुष्पथ जन्तंत्र, ~~कुण्डाहेड़ा~~, गाजियाबाद- 201016

~~3 / 866 भारतीपुरम्, प्रतिष्ठानपुर, प्रयागराज-211019~~

कार्यालय सीनियर पोस्ट मास्टर 15 JUN 2017 गाजियाबाद-201009

---

1. संस्थापक सदस्य
   आम आदमी पार्टी
2. विशिष्ट सम्पादक (भू०पू०)
   नागरिक धारा
3. महामंत्री
   सेवा निवृत्त नागरिक संगठन
4. महामंत्री
   भ्रष्टाचार निवारण ज०क० समिति
5. महामंत्री (भू०पू०)
   प्रयाग ज०हि०सा० सम्मेलन
6. संस्कृति एवं प्रकाशन मंत्री (भू०पू०)
   त्रिवेणी युनिवर्सिटी आफ थर्ड एज।
7. केन्द्रीय प्र०स० सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्
8. मुख्य योग, शिक्षक पंतजलि योग समिति
9. महामंत्री
   जागरुक मतदाता मंच
10. शाखा संजयोक, आजादी बचाओ आन्दोलन
11. महामंत्री (भू०पू०) भारतीपुरम् कल्याणं समिति
12. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (भू०पू०)
    इण्डियन रेलवे ट्रेक्श० वर्कर्स एसो०
13. क्षेत्रीय उप महामंत्री (भू०पू०)
    आ०इ०रे० मि० स्टा० एसो०
14. संगठन मंत्री (भू०पू०)
    अ०प्र० रेलवे हि० स०
15. संगठन मंत्री (भू०पू०)
    को० क० पेन्सर्स एसो० इला०

by the Sender.
पोस्टल आर्डर
₹ 10
POSTAL ORDER
किसे अदा करना
To whom payable वित्त मंत्रालय भारत सरकार
किस डाकघर में
At what Office नई दिल्ली
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed हाँ
भेजने की तारीख
Date sent 31-5-17
37F 141811

पत्रांक श्री० ब/17 दिनांक 31-5-17

सुप्रतिष्ठायाम् कृपया पत्राचार राष्ट्रभाषा में करें

श्री सचिव
बैंकिंग प्रभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
महोदय नई दिल्ली

जनसूचना अधिकारी हस।

कृपया कोष्ठकान्तर्गत शब्द की गणना न की जाए। इसमें सूचना नहीं मांगी गई है।

1) विषय- वित्त मंत्रालय व वित्तीय संस्थानों में, अनुभागों में राजभाषा का पालन
2) सूचनार्थशुल्क निमित्त भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 31-F 141811 एतत्सह सादर सलग्न है।
   इसके आदाता स्तम्भ की प्रथमपंक्ति रिक्त है। यथावश्यकता रिक्तिपूर्ति अपने कार्यालय से करा ली जाए।
3) राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार पत्राचार राष्ट्रभाषा में करें।
4) प्रदत्त सूचना के सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित / सत्यापित हों।
5) पिन कोड युक्त पूरा पता लिखें।
6) यत्र तत्र स्वेच्छाचारी कार्यपालिका–संविधान, राजभाषाधिनियम –नियमादेशोल्लंघन, और बिन्दु का आभार–झूठा प्रगति प्रतिवेदन– कहां है शासन?
6) संविधानानुच्छेद 351 के अनुसार संस्कृत शब्द प्रयुक्त / यह पत्र राष्ट्रभाषा राजभाषा हिन्दी में है।
7) शासन द्वारा अनुमन्य –तार एवं त्वरित पत्र (एक्सप्रेस पत्र) प्रणाली प्रयुक्त / जिस शब्द या पैरा का अर्थ न समझे उसे कृपया बताए।

अग्रांकित बिन्दुओं पर सूचना दी जाए।

① कृपया निम्नलिखित की सूची दे तथा दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, इलाहाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर में ये कार्यालय हैं तो निरीक्षण की अनुमति दें।
(क) वित्त मंत्रालय के विभाग व अनुभाग जहाँ पर राजभाषा संबंधी जांच बिन्दु स्थापित हैं तथा वास्तव में कार्यरत हैं।

कृ०पृ०प०

(2) वित्त मंत्रालय के अनुभाग / विभाग व लोक प्राधिकरण जहाँ पर ऐसे फार्म प्रयोग में लाये हेतु जनता को दिये जा रहे हैं या आन्तरिक कार्य मे प्रयोग में लाये जा रहे हैं जो मात्र अंग्रेजी मे छपे हैं / की सूची दे।

(3) वित्त मंत्रालय के अनुभाग / विभाग व लोक प्राधिकरणो की सूची दे जहाँ पर ऐसी रबड़ की मोहरो का प्रयोग हो रहा है जो मात्र अंग्रेजी मे बनी है।

(4) ~~[illegible]~~ वित्त मंत्रालय के उन अनुभागो विभागों व लोक प्राधिकरणो की सूची दें जहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठके नियमित रूप से नहीं की जा रहे हैं /

(5) वित्त मंत्रालय के उन अनुभागो / विभागो व आन्तरिक लोक प्राधिकरणो की सूची दे जहाँ पर राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम सन् 2017-18 अभी तक नही पहुंचा है /

(6) वित्त मंत्रालय के उन अनुभागो / विभागो व आन्तरिक कार्यालयो की सूची दे जहां पर राजभाषा संबंधित कार्मिको के पद रिक्त हैं /

(7) वित्त मंत्रालय के उन अनुभागो / विभागो व कार्यालयो की सूची दे जहां पर ऐसे सूचनापट्ट, होर्डिंग आदि लगे हैं जो मात्र अंग्रेजी मे लगे हैं /

(8) उन बैंको की शाखाओ की सूची दे जहां पर ड्रापबाक्स के ऊपर हिन्दी मे यह सूचना नहीं लिखी है कि चेक को काउण्टर पर देकर रसीद प्राप्त की जा सकती हैं /

(9) उन बैंक शाखाओं की सूची दे जहां पर जमा रसीदे, जमा पर्चियां ~~[illegible]~~ जमा रसीदे आदि अभी ~~[illegible]~~ ऐसी बनायी जा रहे हैं जो केवल अंग्रेजी मे है /

(10) उन बैंक शाखाओं की सूची दें जहां पर पासबुक में प्रविष्टि केवल अंग्रेजी में की जा रही है।

(11) उन केन्द्रीय प्राधिकरणों की सूची दें जिनके रजिस्टरों के शीर्ष स्तम्भ केवल अंग्रेजी में मुद्रांकित किये जा रहे हैं।

(12) उन स्वायत्त केन्द्रीय प्राधिकरणों की सूची दें जो भारतीय डाक अधिनियम 1898 की धारा-4 का उल्लंघन करके अपने पत्रादि डाक विभाग के स्थान पर कोरियर कम्पनियों से भेज कर राजस्व हानि कर रहे हैं।

(13) ऊपर बिन्दु 12 द्वारा गत 5 वर्षों में हानि बतायें

(14) ऊपर बिन्दु 13 हेतु क्षति वसूली व्यवस्था बतायें।

(15) उन केन्द्रीय प्राधिकरणों की सूची दें जहाँ हिन्दी में कार्य करने के इच्छुक कार्मिकों को अंग्रेजी-हिन्दी, हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी-हिन्दी विभागीय शब्दावली, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा प्रकाशित कार्यालय सहायिका नहीं दी गई है।

(16) उन बैंकों की शाखाओं व स्वायत्त कार्यालयों की सूची दें जहां पर परिवाद व सुझाव पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

भवदीय
[illegible] 4/8/06
([illegible])

संलग्न
भारतीय पोस्टल आर्डर
सीरियल 37-F 141811